

# मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016-17 के दौरान पॉलिसी दरों में 50 आधार बिंदु की कटौती की। तथापि, इसने फरवरी 2017 में अपनी मौद्रिक नीति को समायोजनकारी दृष्टिकोण से बदलकर तटस्थ बनाया। और अगस्त 2017 में रेपो दर में 25 आधार बिंदु की कटौती की। आरक्षित मुद्रा जैसे मौद्रिक समंक 9 नवंबर, 2016 को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की विधिमान्य स्थिति समाप्त किए जाने के बाद काफी कम हो गए। विमुद्रीकरण के पश्चात कई महीनों तक अतिरिक्त नकदी की स्थिति बनी रही। बैंकों से ऋण लेने में हुई गिरावट बरकरार रही और अनर्जक आस्तियों की स्थिति और अधिक बिगड़ी। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में मन्द विकास और बढ़ती ऋणग्रस्तता से बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता प्रभावित हुई और यह चिंता का विषय है। वित्तीय समावेशन का कार्य प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत तेजी से हो रहा है। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों में औसत शेष में 2016-17 में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है और शून्य शेष वाले खातों की संख्या लगातार कम हुई है।

## 2016-17 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

3.1 सरकार ने, मई 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया ताकि संशोधित मौद्रिक नीति ढांचे का उपबंध कर सके। संशोधित अधिनियम के तहत प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अधिकार प्राप्त मौद्रिक नीति समिति के गठन के लिए सांविधिक आधार के उपबंध किए गए हैं। 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए सरकार ने सहनीय स्तर  $\pm 2$  प्रतिशत के साथ 4 प्रतिशत का मुद्रास्फीति लक्ष्य रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अप्रैल 2016 में अपने नकदी प्रबंधन नीति ढांचे को दुरुस्त किया है, इसका उद्देश्य नियमित सुविधाओं द्वारा अल्पावधिक नकदी आवश्यकता को पूरा करना, कार्यों में उचित तालमेल के जरिए क्षणिक और मौसमी बेमेल को कम करना और

अपने तुलन पत्र में निवल विदेशी आस्तियों और निवल घरेलू आस्तियों को सुधारकर अधिक टिकाऊ नकदी प्रदान करना है। यह आंशिक रूप से, 2015 के अंतिम दिनों में देखी गई मुद्रा की दुर्लभ स्थिति के 'प्रत्युत्तर' में था। (देखें बॉक्स 3.1 चित्र 1)।

3.2 सरकार ने, 29 सितंबर, 2016 को मौद्रिक नीति समिति के गठन को अधिसूचित किया। 2016-17 में एमपीसी की तीन बैठकें हुईं। 2016-17 की 8 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी अंतिम बैठक में, एम पी सी ने, नीति दरों को नियंत्रित करते समय अपनी मौद्रिक नीति को समायोजनकारी से बदलकर तटस्थ बना दिया। 2 अगस्त, 2017 को आयोजित अपनी अद्यतन बैठक में, एमपीसी ने नीति रेपो दर में 25 आधार बिन्दु तक 6 प्रतिशत की कटौती की। तदनुसार रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत है और अत्यल्प स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत है।

## सारणी 1. नीति दरों में संशोधन

प्रभावी तारीख	बैंक दर/ एमएसएफ दर* ( प्रतिशत )	रेपो दर ( प्रतिशत )	रिवर्स रेपो दर ( प्रतिशत )	नकदी आरक्षित अनुपात ( एनडीटीएल का प्रतिशत )	वैधानिक तरलता नकदी अनुपात ( एनडीटीएल का प्रतिशत )
29-09-2015	7.75	6.75	5.75	4.00	21.50
1-12-2015	7.75	6.75	5.75	4.00	21.50
2-02-2016	7.75	6.75	5.75	4.00	21.50
5-04-2016	7.0	6.50	6.0	4.00	21.25
7-06-2016	7.0	6.50	6.0	4.00	21.25
9-08-2016	7.0	6.50	6.0	4.00	21.00
4-10-2016	6.75	6.25	5.75	4.00	20.75
7-12-2016	6.75	6.25	5.75	4.00	20.75
8-02-2017	6.75	6.25	5.75	4.00	20.50
6-04-2017	6.50	6.25	6.0	4.00	20.50
7-06-2017	6.50	6.25	6.0	4.00	20.50
2-08-2017	6.25	6.00	5.75	4.00	20.00

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: 13 फरवरी 2012 से बैंक दरों को एमएसएफ दरों से जोड़ा गया है, एनडीटीएल, निवल मांग और समय देयता है।

3.3 2016-17 के दौरान, 9 नवंबर, 2016 को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की विधिमान्य मुद्रा की समाप्ति के चलते मौद्रिक संग्रहण काफी धीमा पड़ गया है। विमुद्रीकरण के पहले, आरक्षित मुद्रा (वर्षानुवर्ष आधार पर एमओ) का औसत 15 प्रतिशत था जो 2015-16 की इसी अवधि में औसत वृद्धि से लगभग 4 प्रतिशतांक अधिक था (चित्र 1)। प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि मुख्य रूप से परिचालन में मुद्रा की अधिक वृद्धि के कारण हुई थी। विमुद्रीकरण के बाद विगत अनेक वर्षों में पहली बार परिचालनरत मुद्रा में तेजी से कमी आई, सहवर्ती रूप से प्रारक्षित मुद्रा में गिरावट आई (सारणी 2) प्रारक्षित मुद्रा में नरम बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सरकार के नकद शेष संग्रहण को दर्शाया है, अधिकांशतः नकद प्रबंध हुंडियों के निर्गम के जरिए और आधिक्य अधिशेष को बैंकिंग प्रणाली में समाहित करने की दृष्टि से बढ़ती एलएएफ रिवर्स रेपो के जरिए भी यह संभव हुआ। 6 जनवरी, 2017 को ₹ 9 ट्रिलियन नीचे गिरने के बाद परिचालनरत मुद्रा पुनःमुद्रीकरण प्रक्रिया की तर्ज पर

बढ़ना शुरू किया और 31 मार्च 2017 तक 74 प्रतिशत पर शीर्ष पर पहुंच गया (4 नवंबर, 2016 को ₹ 18 ट्रिलियन) परिणामस्वरूप मार्च अंत 2017 में प्रारक्षित मुद्रा में सुधार आया किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में यह 12.9 प्रतिशत कम था।


3.4 सकल मौद्रिक संसाधनों में वृद्धि 2016-17 के दौरान नरम पड़ गई जो ऋण वृद्धि में मंदी तथा एफसीएनआर(बी) जमा राशि की काफी मात्रा में मोचन दर्शाता है (चित्र 2)। 9 नवम्बर, 2016 के बाद जनता के पास मुद्रा अचानक कम हो गई और इसकी वृद्धि ऋणात्मक हो गई। साथ ही साथ कुल जमा राशि में बढ़ोत्तरी देखी गई क्योंकि एसबीएन की विधिमान्यता समाप्त होने के साथ-साथ नकद आहरण पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, विमुद्रीकरण के बाद सकल मुद्रा में कटौती प्रारक्षित मुद्रा में आई कमी से काफी कम थी, इसके फलस्वरूप इस अवधि के दौरान मुद्रा गुणकों में तेजी से वृद्धि हुई। तथापि, पुनःमुद्रीकरण के गति पकड़ने के साथ ही साथ सकल मुद्रा में सुधार

सारणी 2. प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में मौद्रिक समकों में वर्षानुवर्ष परिवर्तन ( प्रतिशत )

मद	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
परिचलन में मुद्रा	-19.7	14.9	11.3	9.2	11.6	12.4	18.8
बैंक के पास नकद	8.1	6.6	12.4	10.7	14.6	15.2	18.0
जनता के पास मुद्रा	-20.8	15.2	11.3	9.2	11.5	12.3	18.8
आरबीआई में बैंकों की जमा राशि	8.3	7.8	8.3	34.0	-10.0	-15.9	20.2
प्रारक्षित मुद्रा (एम ओ)	-12.9	13.1	11.3	14.4	6.2	3.6	19.1
मांग जमा राशि	42.5	11.0	9.8	7.8	6.0	-1.7	0.7
संकीर्ण मुद्रा (एम1)	3.6	13.5	11.3	8.5	9.2	6.0	10.0
सावधि जमा	12.6	9.2	10.7	14.9	15.0	16.1	18.3
सकल मौद्रिक संसाधन	10.6	10.1	10.9	13.4	13.6	13.5	16.1

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं, स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 1. प्रारक्षित मुद्रा वर्षानुवर्ष वृद्धि (%) - मासिक रूझान




स्रोत: आरबीआई

आया और पिछले वर्ष की तुलना में यह 10.6 प्रतिशत अधिक था। इसके परिणामस्वरूप 6 जनवरी, 2017 को 8.8 पर शीर्ष पर पहुंचने के पश्चात, मुद्रा गुणकों में बाद की अवधि में गिरावट आई और यह 31 मार्च, 2017 को 6.8 पर आ गया (5.3 पिछले वर्ष) (चित्र 3)

### नकदी की स्थिति और इसका प्रबंधन


3.5 अप्रैल, 2016 में नए नकदी प्रबंधन ढांचे की शुरुआत करने से, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औसत प्रत्याशित तरलता घटा तटस्थता की स्थिति में लाने के लिए प्रयास किए गए हैं और अप्रैल से जून में

चित्र 2. सकल मुद्रा: वर्षानुवर्ष वृद्धि (%) - मासिक रुझान



स्रोत: आरबीआई

चित्र 3. मुद्रा गुणक - मासिक रुझान



स्रोत: आरबीआई

यह घाटा लगातार कम हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक में भारत सरकार के नकद शेष में गिरावट और ओएमओ खरीद नीलामी के जरिए स्थायी नकदी अन्तःक्षेप के साथ जुलाई से सितंबर मध्य 2016 की अवधि के दौरान


भारतीय रिजर्व बैंक नकदी को अपने पास जमा करने की विधि से कार्य करता रहा। बैंकिंग प्रणाली से अग्रिम कर बहिर्प्रवाह के कारण सितंबर के उत्तरार्ध में नकदी की स्थिति मामूली रूप से मजबूत हुई और परिणामस्वरूप

भारतीय रिजर्व बैंक में भारत सरकार के नकद शेष में वृद्धि हुई। परिचालन में मुद्रा में त्योहार के कारण वृद्धि होने की वजह से यह अक्टूबर उत्तरार्ध में घाटे पर रहने के पहले अक्टूबर मध्य, 2016 तक अधिशेष दिखा रहा था। ऐसे घटनाक्रम सामान्यतः घटित होते रहते हैं।

3.6 विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर, 2016 को की गई। इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में अभूतपूर्व तरीके से नकदी अधिशेष बढ़ा। एलएएफ के तहत 25 नवंबर, 2016 को शीर्ष 5194 बिलियन निवल नकदी समाहित हुई। बैंकिंग प्रणाली में नकदी की भरमार को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने विभिन्न उपाय किए। इन उपायों में 26 नवंबर 2016 को प्रारंभ पखवाड़े से अस्थायी रूप से 100 प्रतिशत आंतरिक सीआरआर (16 सितंबर, 2016 और 11 नवंबर, 2016 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर) और बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत नकदी प्रबंधन हुंडियां जारी करना एवं रातों रात से लेकर 91 दिवसों विभिन्न अवधियों की परिवर्तनीय दर, रिवर्स रेपो, आदि शामिल हैं।

3.7 विमुद्रीकरण से उत्पन्न बड़ी मात्रा में अधिशेष मुद्रा की स्थिति 2016-17 की चौथी तिमाही में भी बनी रही। अधिशेष नकद को समाहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने परिवर्तनीय दर, रिवर्स रेपो, जारी रखी और जनवरी, 2017 में भी सीएमबी निर्गम करता रहा। एमएसएस के अंतर्गत सीएमबी के निर्गमों के जरिए नकदी समाहरण जनवरी 2017 में ₹ 5,966 बिलियन पर शीर्ष पर पहुंच गया। सीएमबी के परिपक्व होने और फरवरी-मार्च 2017 में नए सीएमबी का निर्गम बंद कर देने से प्रणाली में अधिशेष नकद को समाहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो नीलामी का स्तर बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल नकदी समाहरण जनवरी, 2017 में ₹ 2002 से बढ़कर फरवरी, 2017 में ₹ 3,997 बिलियन तथा मार्च, 2017 में और अधिक बढ़कर ₹ 4,483 बिलियन हो गया। एलएएफ और सीएमबी जारी करके औसत दैनिक निवल नकदी समाहरण 2016-17 की चौथी तिमाही के दौरान ₹ 5932 बिलियन था, 4 जनवरी, 2017 को शीर्ष ₹ 7956 बिलियन दर्ज किया गया। तथापि, ये सभी उपाय

चित्र 4. दैनिक बाजार तरलता



स्रोत: आरबीआई

### बाक्स 1. केन्द्रीय बैंक तरलता क्या है?

नकदी समायोजन सुविधा के अंतर्गत बैंक और प्राथमिक डीलर (पीडी) या तो रेपो विंडो का उपयोग करके आरबीआई से उधार ले सकते हैं या रिवर्स रेपो विंडो का उपयोग करके आरबीआई में अधिक निधि को रख सकते हैं। यह ध्यान रहे कि पीडी आरबीआई पंजीकृत संख्या हो, जिनके पास सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री करने का लाइसेंस हो। अक्टूबर, 2013 और जून 2014 से आरबीआई ने भी सावधि रेपो (14 दिवसीय तक) और सावधि रिवर्स रेपो (56 दिवसीय तक) का प्रचालन शुरू किया है। रेपो और रिवर्स रेपो विंडो के तहत लेन-देन संपार्श्विक होते हैं।

किसी भी समय बाजार तरलता का अभिप्राय एलएएफ के अंतर्गत बैंकों और पीडी द्वारा उधार ली गई निवल निधि है (आरबीआई से निधियां उधार ली जाती हैं और उसमें जमा की जाती हैं)। तरलता की कमी का अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें आरबीआई से उधार ली गई निवल निधि धनात्मक हो। दूसरे शब्दों में, रातों रात उधार लेने के लिए बैंकों और पीडी को आरबीआई का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि बाजार में नकदी का अभाव है। इसी प्रकार तरलता का आधिक्य का अभिप्राय है इसके विपरीत स्थिति जहां आरबीआई से उधार ली गई निवल निधि ऋणात्मक होती है। मूल रूप से बैंक और पीडी के पास पर्याप्त से अधिक नकदी है अतः वे ब्याज कमाने के लिए अपनी आधिक्य निधि जमा करने हेतु आरबीआई का रुख करते हैं।

प्रणाली से नकदी आधिक्य को समाप्त करने में सफल नहीं रहे। जून 2017 के अंतिम सप्ताह में भी नकदी का आधिक्य ₹ 2500 बिलियन बना रहा।

### बैंकिंग क्षेत्र

3.8 बैंक-साख आर्थिक क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। 2003-2008 की अवधि में देखी गई उच्च वृद्धि के साथ-साथ मौद्रिक संग्रहण और साख वृद्धि में बेहतर प्रदर्शन हुआ जो वर्षानुवर्ष 20 प्रतिशत के आंकड़े से सामान्य अधिक था। वैश्विक वित्तीय संकट और 2008-10 की तुलना में राजकोषीय उत्प्रेरक द्वारा तेजी से प्रभावित होने के बाद फरवरी, 2014 तक साख वृद्धि लगभग 15 प्रतिशत अंक पर बनी रही। बाद में इसमें मंदी आई। वर्ष 2016-17 के दौरान सकल बैंक साख बकाया औसतन 7 प्रतिशत बढ़ा। मई 2017 के लिए अद्यतन पाठन 4.1 प्रतिशत है। धीमी वृद्धि के अनेक कारक हो सकते हैं: (क) मौद्रिक नीति का अपूर्ण प्रचार-प्रसार क्योंकि बैंकों ने उधारकर्ताओं को मौद्रिक सुलभता के समस्त फायदे की जानकारी नहीं दी थी; (ख) दोहरे तुलन पत्र की समस्या (कमजोर बैंक तुलन पत्र तथा कारपोरेट तुलन पत्र); (ग) बांड बाजार में और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से उधारकर्ताओं के लिए अधिक आकर्षक ब्याज दरें।

3.9 प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक खाद्य-भिन्न ऋण के अभिनियोजन की प्रवृत्ति दर्शाती है कि उद्योग क्षेत्र द्वारा ऋण लेना कम हो गया है (चित्र 5) वित्तीय वर्ष 2016-17 में उद्योग को औसत सकल बैंक ऋण में 1.6


प्रतिशत कमी आई है। मई 2017 में इसमें 2.1 प्रतिशत की कमी आई थी। यहां तक कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के उत्तरार्ध में व्यक्तिगत ऋण खंड में भी गिरावट आई। चित्र 6क और 6ख सरकारी और निजी बैंकों द्वारा उद्योग को ऋण और गैर-खाद्य ऋण के सकल अभिनियोजन को दर्शाते हैं। हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से ऋण उठाव में कमी निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के मुकाबले स्पष्ट रूप से अधिक है।

3.10 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादन अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात सितंबर, 2016 में 9.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2017 में 9.5 प्रतिशत हो गया। जोखिम-आपदाग्रस्त आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पूंजी सितंबर 2016 और मार्च, 2017 के बीच 13.4 प्रतिशत से बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गया जबकि कर पश्च लाभ वर्ष 2016-17 में बढ़कर 45.8 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2015-16 में इसमें 61.6 प्रतिशत की गिरावट रही। यह मुख्यतया अन्य परिचालन आय (ओओआई) में उच्च वृद्धि के कारण हुआ जोकि जोखिम संबंधी प्रावधानों और बट्टे-खाते डालने के सापेक्ष है।

### वित्तीय समावेशन


3.11 अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के शुभारंभ से मिशन मोड में वित्तीय समावेशन के महत्वाकांक्षी एजेंडा के प्रति भारत वचनबद्ध हो गया है। जैसे-जैसे इस पहल को तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसके प्रभाव का परिणाम के संदर्भ में आकलन करना, प्रमुख

चित्र 5. बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन ( वर्षा-नु-वर्ष, % )




स्रोत: आरबीआई

चित्र 6क. बैंक समूहों द्वारा खद्यभिन्न ऋण वृद्धि ( वर्षा-नु-वर्ष, % )



चित्र 6ख. बैंक समूहों में उद्योगों को ऋण वृद्धि ( वर्षा-नु-वर्ष, % )



स्रोत: सर्वेक्षण अनुमान


टिप्पणी: मार्च, 17 की संख्या अनंतिम हैं, पीवीबी निजी क्षेत्र के बैंक, एससीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

रूप से इसके फायदे एवं इसके भविष्य का आकलन करना, उपयुक्त होगा।

3.12 मूल बचत बैंक जमा खाता: ये खाते मूल बचत खाते उत्पाद होने के नाते बैंक से संबंधित न रहने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से शुरू किये गये, इन खातों में वृद्धि वित्तीय समावेशन में वृद्धि का आकलन करने के लिए प्रमुख मानदंड है। पीएमजेडीवाई की शुरुआत के पहले 2005 में बीएसबीडी खातों की शुरुआत से लेकर

जुलाई, 2014 तक ऐसे खातों की संख्या बढ़कर 25.54 करोड़ हो गई है। पीएमजेडीवाई की शुरुआत के बाद वीएसबीडी खातों की संख्या तेजी से बढ़कर दिसंबर, 2016 तक 51.50 करोड़ हो गई है। इसमें से 26.20 करोड़ पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खाते हैं, जो कुल के आधे से अधिक को दर्शाता है। तब से, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत और 2.56 करोड़ बीएसबीडी खाते खोले गए हैं, जिससे 31.5.2017 की स्थिति के अनुसार खातों की कुल संख्या बढ़कर 28.76 करोड़

चित्र 7. बैंक समूहों में गैर-निष्पादन आस्तियां (वर्षा-नु-वर्ष, %)



स्रोत: सर्वेक्षण अनुमान

टिप्पणी: सभी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संदर्भित हैं।

## बाक्स 2. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 2017 को 4 मई, 2017 को लागू किया गया था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के पश्चात् इसमें दो नई धारा (अर्थात् 35कक और 35कख) जोड़ा गया जिस ने बैंकिंग कम्पनियों को निर्देशित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को अधिकृत करने के लिए संघ सरकार को सक्षम बनाया गया है ताकि ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया, जहां आवश्यक हो, प्रारंभ करके विशिष्ट आपदाग्रस्त आस्तियों का समाधान किया जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक को समाधान हेतु अन्य निदेश जारी करने और नियुक्ति करने अथवा नियुक्ति का अनुमोदन देने, प्राधिकारियों अथवा समितियों को भारत आस्तिके समाधान हेतु बैंकिंग कम्पनियों को सलाह देने का भी अधिकार दिया गया है।

इस अध्यादेश के लागू किए जाने के तुरन्त बाद, रिज़र्व बैंक ने आपदाग्रस्त अस्तियों के संबंध में मौजूदा विनियमनों में निम्नलिखित बदलाव करते हुए एक निदेश जारी किया है।

- यह स्पष्ट किया गया कि सुधारात्मक कार्य योजना में लचीला पुनर्संरचना, कार्यनीतिक ऋण पुनः संरचना योजना (एसडीआर) और आपदाग्रस्त आस्तियों की संपोषणीय संरचना योजना को शामिल किया जाए।
- संयुक्त कर्जदाता मंच (जेएलएफ) में निर्णय लेने की सुगमता के दृष्टिगत, प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु 50 प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए पूर्व में रखे गए 75 प्रतिशत की बजाय इसे 60 प्रतिशत कर दिया गया।
- वे बैंक जो जेएलएफ द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर अल्प संख्यक रहे, को निर्धारित समय के भीतर प्रतिस्थापन नियमों का अनुपालन करके या तो बाहर निकल जाना अथवा जेएलएफ के निर्णयों का अनुपालन करना है।
- भागीदार बैंकों को बिना किसी अन्य शर्त के जेएलएफ के निर्णय का कार्यान्वयन करने का अधिदेश दिया गया है।
- बैंक बोर्डों को यह सलाह दी गई है कि वे निर्देश के बगैर जेएलएफ के निर्णयों का कार्यान्वयन करने हेतु अपने कार्यपालकों को सशक्त करें।

यह अध्यादेश भारतीय रिज़र्व बैंक को लक्षित तरीका अपनाने और गैर-निष्पादक आस्तियों का त्वरित रूप से निपटारा करने में समर्थ बनाएगा। सशक्त निगरानी समिति तीन कारकों को निपटाने में समर्थ हो सकेगी जिनसे समाधान प्रक्रिया अब तक धीमी रही है। एक, कर्जदारों द्वारा 'फ्री-राइडिंग' को बंद करना जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया है। दो, करार सम्पन्न होने के पश्चात् अनुपालन करना; तीन, इस प्रक्रिया को प्रमाणित करना ताकि भावी जांच-पड़ताल के डर को कम किया जा सके।

सरकारी कार्रवाई की आपदाग्रस्त आस्तियों, खासतौर पर सहायता संघ अथवा बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के कारगर समाधान पर सीधा असर पड़ेगा चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक गैर-निष्पादन आस्तियों के समाधान के विशिष्ट मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत होगा ताकि उन्हें निश्चित निष्कर्ष पर लाया जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक ने, 13 जून, 2017 को 12 प्रमुख ऋण चूककर्ताओं को चिह्नित किया है जहां ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आईवीसी) के तहत कार्यवाही की शुरुआत होगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षण समिति में तीन नए सदस्यों को शामिल करने का अधिकार दिया है ताकि अशोध्य ऋण समाधान में तेजी लाई जा सके। समिति में फिलहाल पांच सदस्य हैं।



**बाक्स 3. ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016**

ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016 को 28 मई, 2016 को अधिनियमित किया गया था। यह संहिता, एक व्यापक आधुनिक और सुदृढ़ ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन व्यवस्था है, जो वैश्विक मानकों के समरूप और कुछ पहलुओं में इससे भी बेहतर उपबंध उपलब्ध कराता है। इस व्यवस्था की विशिष्ट विशेषताएँ हैं: (i) एक व्यापक व्यवस्था, जिसमें सभी प्रकार के व्यक्तियों की ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन के सभी पहलुओं से संबंधित है (ii) ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन संबंधी प्रक्रियाओं के वाणिज्यिक पहलुओं को न्यायिक पहलुओं से पृथक करता और हितधारकों को सशक्त बनाना तथा प्राधिकारियों को अधिनियमित बनाना ताकि अपने अधिकार क्षेत्र में शीघ्रता से मामलों का निपटारा कर सकें। (iii) निवल संपत्ति के ह्रास से हटकर ऋणशोधन अक्षमता प्रक्रिया के प्रारंभ हेतु भुगतान में अधिक उद्देश्य-परक चूक की ओर बढ़ना (iv) 'डेब्टर-इन-पोजीशन' से हटकर 'क्रेडिटर-इन-कंट्रोल' की ओर बढ़ना, जहाँ ऋणदाता ऋणशोधन अक्षमता के विषय में पेशेवरों की सहायता से मामले पर निर्णय लेता है (v) कर्जदाता द्वारा ऋण वसूली की अपेक्षा ऋणशोधन के विषय में अक्षमता को निपटाने हेतु सामूहिक प्रक्रम उपलब्ध कराना। (vi) समयबद्ध ढंग से ऋणशोधन अक्षमता का समाधान करना और हितधारकों को सशक्त बनाना ताकि समयबद्ध लेन-देनों को पूरा किया जा सके।

इस संहिता के प्रमुख नवोन्मेष संस्थागत अवसंरचना के चार स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ व्यवस्थित व्यक्तियों का एक वर्ग है 'ऋणशोधन अक्षमता पेशेवर' जो हितधारकों को ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन समाधान की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। दूसरा स्तम्भ "सूचना उपयोगिता" का नया उद्योग है जो संहिता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लेनदेन करने हेतु अपेक्षित प्रमाणिक सूचना उपलब्ध करते हैं, और सक्षमतापूर्वक एवं शीघ्रता से उपलब्ध कराते हैं। तीसरा स्तम्भ अधिनियमित प्राधिकरण है, अर्थात् कारपोरेटों और व्यष्टियों के लिए क्रमशः एनसीएलटी एवं डीआरटी, और उनका अपीलीय निकाय अर्थात्-एनसीएलएटी और डीआरएटी चौथा स्तम्भ विनियामक है नामतः "भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड, जो ऋणशोधन अक्षमता पेशेवरों, ऋणशोधन अक्षमता एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं का विनियामक पर्यवेक्षण करता है और संहिता के अंतर्गत विभिन्न लेनदेनों को शासित करने के लिए विनियमों की रचना करता है।

संहिता को क्रियान्वित करने में सरकार ने तीव्रता दिखाई। इन्होंने न्यायाधिकरणों, राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना 1 जून, 2016 को की और भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना 1 अक्टूबर, 2016 को की। सभी के सामंजस्यपूर्ण प्रयासों से अधिकांश विनियामक ढांचा और कारपोरेट ऋण शोधन अक्षमता से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र 31 मार्च, 2017 तक चालू कर दिए गए थे।

अब तक एनसीएलटी के समक्ष लगभग 2050 आवेदन दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 112 आवेदनों को स्वीकार किया गया और अन्य 146 को या तो अस्वीकार किया गया या वापस कर दिया गया। स्वीकृत आवेदनों में निहित चूक कुछ लाख रुपयों से कुछ हजार करोड़ रुपए के दायरे में है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 बड़े चूककर्ताओं की घोषणा से इसमें तेजी से विस्तार होगा।

**सारणी 1: माह-वार दर्ज किए गए आवेदन**

	दिसम्बर 2016	जनवरी 2017	फरवरी 2017	मार्च 2017	अप्रैल 2017	मई 2017	जून 2017	कुल
Numbers त	1	9	42	106	558	462	872	2050


**टिप्पणी:** 30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार, एनसीएलटी वेबसाइट से प्राप्त आंकड़े

हो गई है। बैंकिंग सुलभता बढ़ाने में पीएमजेडीवाई का योगदान स्पष्ट है।

3.13 वित्तीय समावेशन में महिला-पुरुष का मुद्दा बना हुआ है। मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, सभी बचत खातों में, महिलाओं के खाते लगभग 28 प्रतिशत थे और कुल खातों की संख्या 33.9 करोड़ थी। मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, शीर्ष 40 बैंकों और आरआरबी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं का हिस्सा बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत हो गया है। इसमें कुल 43.65 करोड़ महिलाओं के खातों में से 14.49 करोड़ खाते महिलाओं द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए हैं; यह महिलाओं के वित्तीय समावेशन में बड़ी तेजी से वृद्धि दर्शाता है।


3.14 कारगर वित्तीय समावेशन न केवल सुलभता के संदर्भ में दर्शाया जाना चाहिए बल्कि इसे वित्तीय सेवाओं के उपयोग में दर्शाया जाना चाहिए। जमा राशि जुटाए जाने के संदर्भ में पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों के शेष में स्थायी वृद्धि दर्ज की गई। इनमें, मार्च, 2015 में प्रति खाता 1,065 रुपये से मार्च, 2017 में 2,236 रुपये की वृद्धि हुई। (चित्र 8)। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत शून्य शेष खातों में लगातार गिरावट आई और मार्च, 2015 में इनकी संख्या लगभग 58 प्रतिशत से घटकर दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार लगभग 24 प्रतिशत रह गई। आधार समर्थित भुगतान, जो बैंकिंग पत्राचार में लेनदेन की प्रमुख विधि है, में भी तेजी से वृद्धि देखी गई, जो अगस्त, 2015 में प्रति माह 0.3

चित्र 8. पीएम जेडीवाई के अंतर्गत खोले गए बीएसबीडी खाते में औसत जमा शेष ( रु. में )



स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

चित्र 9. पीएमजेडीवाई के अंतर्गत शून्य शेष खाते ( % )



स्रोत: पीएमजेडीवाई वेबसाइट

करोड़ से बढ़कर अगस्त, 2016 में 2.3 करोड़ तथा मई, 2017 में 6.8 करोड़ हो गई। अंतर प्रचालन में विस्तार और इसको सुदृढ़ करने के परिणामस्वरूप, एक बैंक के ग्राहकों द्वारा दूसरे बैंक के बीसी आउटलेट पर किए गए लेन-देन का हिस्सा भी बढ़ गया है। (“ऑफ-अस’ लेनदेन”), अप्रैल, 2016 तक बीसी आउटलेट पर 1 प्रतिशत से भी कम लेन-देन से स्थायी रूप से बढ़कर मई, 2017 में लगभग 17 प्रतिशत हो गया है। बीसी की संख्या एक समान बने रहने के बावजूद भी यह हो पाया

है। यद्यपि, अगस्त, 2015 में पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए ग्रामीण खातों की संख्या 8.0 करोड़ से बढ़कर अगस्त, 2016 में 14.8 करोड़ तथा मई, 2017 में 17.2 करोड़ हो गई है, लेन-देन में वृद्धि ग्रामीण खाते की वृद्धि दर से अधिक दर पर हुई है। इस प्रकार से बीसी आउटलेट के जरिए जमा और लेन-देन, दोनों ही अर्थों में खातों के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बीसी नेटवर्क की व्यवहार्यता और सतत् वृद्धि के लिए सकारात्मक परिणाम हैं।

3.15 पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खाता धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर उनके संबंधित डेबिट कार्डों में अंतर्निहित बीमा के जरिए प्रदान करने के अलावा 10.02 करोड़ खाता धारकों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए अपना बीमा कवर लिया और 3.11 करोड़ खाता धारकों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा कवर लिया। इसके फलस्वरूप काफी बड़ी संख्या में लोगों ने व्यक्तिगत दुर्घटना और जीवन बीमा करवाया और मार्च 2015 में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 32.31 करोड़ से बढ़कर मई 2017 में लगभग 45.44 करोड़ पहुंच गई। यह आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए प्रीमियम राशि अत्यधिक कम करके इसे वहनीय बनाकर ही संभव हुआ।

3.16 कई महत्वपूर्ण विकल्पों (चॉइस) और नवोन्मेषों से ही ये परिणाम सामने आए। इसे संभव बनाने में तीन प्रमुख कारक उल्लेखनीय हैं। सबसे पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की प्रभावशाली उपस्थिति में इसका व्यापक रूप से विस्तार हुआ, शाखाएं और अन्तर प्रचालनयोग्य बीसी आउटलेट इससे जुड़े उपयुक्त बैंकिंग सेवा बिन्दु हैं। अधि सूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऐसे कई सेवा बिन्दु जो मार्च 2014 में 1.16 लाख थे मार्च 2017 तक 2.62 लाख, दोगुने से भी अधिक हो गए। 1500 परिवारों के लिए औसतन एक बैंकिंग सेवा बिन्दु वाले जिलों की संख्या जनवरी 2015 में 151 जिलों से बढ़कर मार्च 2017 में 576 हो गई (नीचे मानचित्र देखें) इसे संभव बनाने का दूसरा प्रमुख कारण प्रयोक्ता की सहमति से उसके बैंक खाते को उसकी आधार संख्या से जोड़ना रहा। प्रत्येक तीन सक्रिय बचत खातों में से दो खातों को आधार संख्या से जोड़ दिया गया है। इसने आधार समर्थित लेनदेनों में उपभोक्ता की पहुंच और बीसी व्यवहार्यता दोनों के लिए अपेक्षित उपभोक्ता का बड़ा आधार सृजित किया है। बीमे में वित्तीय समावेशन के लिए तीसरा प्रमुख कारण बीमे के प्रयोजन से बढ़ते बैंकिंग नेटवर्क को फैलाने में नवपरिवर्तन लाना है और कवरेज बढ़ाते समय प्रीमियम को कम करना है। इस नवपरिवर्तन ने बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म बीमे की पहुंच बढ़ाई है।


## गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

3.17 गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के समेकित तुलन पत्र का आकार (सरकारी कम्पनियों को छोड़कर) 2016-17 में 14.5 प्रतिशत बढ़कर 12,56,388 करोड़ रु० हो गया जबकि 2015-16 के दौरान परिसम्पत्ति आकार में 16.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। एनबीएफसी की संख्या 31 मार्च 2017 को 11,522 रही जबकि 31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार 11,586 थी। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, पूंजी और आरक्षित (कुल देयताओं का 26.1 प्रतिशत), बैंक उधार (23.1 प्रतिशत) ऋण पत्र (21.1 प्रतिशत) और वाणिज्यिक पत्र (9.5 प्रतिशत) एनबीएफसी के लिए निधियन के प्रमुख स्रोत हैं। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश इस क्षेत्र की कुल परिसम्पत्ति का क्रमशः 70 प्रतिशत और 17 प्रतिशत बैठते हैं। एनबीएफसी के ऋण तथा अग्रिम 2015-16 में 12.5 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 16.4 प्रतिशत बढ़कर 8,81,651 करोड़ रु० हो गए। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उद्योग, सेवा और खुदरा क्षेत्र को ऋण कुल ऋण का क्रमशः 42.2 प्रतिशत, 30.8 प्रतिशत, और 21.5 प्रतिशत था।

3.18 एनबीएफसी क्षेत्र का सकल एनपीए अनुपात (सकल एनपीए से सकल अग्रिम तक) मार्च 2016 में इसके 4.2 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर मार्च 2017 में 4.4 प्रतिशत हो गया। निवल एनपीए (निवल एनपीए से निवल अग्रिम तक) अनुपात मार्च 2016 और मार्च 2017 में 2.2 प्रतिशत था। एनबीएफसी क्षेत्र का जोखिम भारित परिसम्पत्ति औसत पूंजी अनुपात 31 मार्च 2017 को 22.5 प्रतिशत कम हो गया (एक साल पहले 24.3 प्रतिशत)। व्यष्टि एनएनबीएफसी के लिए 15 प्रतिशत सीआरएआर की न्यूनतम आवश्यकता है 2016-17 के दौरान आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) क्रमशः 6.8 प्रतिशत तथा 1.8 प्रतिशत है (2015-16 के दौरान क्रमशः 7.9 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत की तुलना में)।

## सरकारी प्रतिभूति बाजार में गतिविधि


3.19 5 अप्रैल 2016 के मौद्रिक नीति विवरण में,



नकदी प्रबन्धन ढांचे में घाटे की स्थिति से निकलकर तटस्थता की स्थिति में जाने, सीआरआर के दैनिक रख-रखाव में न्यूनतम आवश्यकता 95 प्रतिशत से घट कर 90 प्रतिशत रहने, नीति दर में आई कमी से उत्पन्न सकारात्मक मनोभाव के पश्चात् विमुद्रीकरण-पूर्व अवधि के दौरान 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) पर

प्राप्ति सामान्यतः नरम पड़ गई। ये जी सेक प्राप्तियां 23 जून 2016 ब्रेक्जिट जनमत संग्रह से पूर्व कुछ सख्ती दिखा रही थीं। किन्तु, ये प्राप्तियां ब्रेक्जिट के परिणाम के बाद वैश्विक प्राप्तियों में आई कमी के बाद उल्लेखनीय रूप से कम हो गई। अपेक्षाकृत स्थिर घरेलू मुद्रा बाजार, बड़े केन्द्रीय बैंकों द्वारा सुगम उपायों की संभावनाएं और

चित्र 10. 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्ति (%)



स्रोत: आरबीआई

फेडरल रिजर्व द्वारा दर बढ़ाने में विलम्ब से प्राप्तियां कम हो गईं।

3.20 विमुद्रीकरण के बाद, प्रतिलाभ में तेजी से गिरावट आई। उसके बाद, पुनर्मुद्रीकरण के कारण आरंभ में प्रतिलाभ बढ़ा फरवरी, 2017 से सरकारी प्रतिभूति की दरों में आसामान्य अस्थिरता रही है जो अचानक नीति परिवर्तन और काफी मात्रा में पूंजी प्रवाह को दर्शाता है। जून, 2017 में मौद्रिक नीति विवरण के बाद जी-सेक प्राप्तियों में तेजी से कमी आई जो आरबीआई के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान में उल्लेखनीय रूप से हुई गिरावट तथा दर में कटौती की भावी संभावनाओं के कारण था।

### पूँजी बाजार में गतिविधि

#### प्राथमिक बाजार

3.21 वर्ष 2016-17 में प्राथमिक बाजार खंड में संसाधन संग्रहण में निरंतर वृद्धि देखी गई। इस वर्ष के दौरान, 134 कम्पनियों ने पूंजी बाजार में प्रवेश किया और 2015-16 के दौरान 107 निर्गमों के जरिए 57,866 करोड़ रुपए की तुलना में 62,079 करोड़ रु० जुटाए जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। (सारणी 3)।

म्युचुअल फण्डों के द्वारा जुटाए गए संसाधनों में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा 2016-17 में काफी वृद्धि हुई। प्रबन्धन के अंतर्गत कुल आस्तियां 2015-16 के दौरान 12.32 लाख रु० से बढ़कर 17.54 लाख रु. पहुंच गईं (सारणी 4)।

3.22 पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान कॉर्पोरेट बांडों के निर्गम के जरिए (सार्वजनिक निर्गम और निजी नियोजन) संसाधनों का संग्रहण तेजी से बढ़ा, 16 सार्वजनिक निर्गमों और 3377 निजी नियोजनों के जरिए 6.70 लाख रु० की राशि जुटाई गई। कॉर्पोरेट बांड बाजार में निजी नियोजन की प्रधानता बनी रही। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि कॉर्पोरेट बांडों के सार्वजनिक और निजी नियोजन के जरिए जुटाए गए संसाधन, बैंक ऋण का प्रतिस्थापन नहीं हैं। बैंक ऋण की तुलना में बांड की परिपक्व अवधि काफी कम होती है और इसलिए बैंक ऋण के साथ ऐसे संसाधन संग्रहणों की तुलना करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है।

#### द्वितीयक बाजार

3.23 पिछले वर्ष 2015-16 में पंजीकृत किए गए घाटों की तुलना में, सेनसेक्स में 16.9 प्रतिशत और निफ्टी

## सारणी 3. सार्वजनिक और राइट्स निर्गम के जरिए प्राथमिक बाजार में संसाधन संग्रहण

निर्गम के प्रकार	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18\$	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
सार्वजनिक निर्गम (इक्विटी)	46	3,311	74	14,815	106	29,105	16	2,344
राइट्स निर्गम (इक्विटी)	18	6,750	13	9,239	12	3,415	2	368
कुल (इक्विटी)	64	10,061	87	24,054	118	32,520	18	2,712
सार्वजनिक निर्गम (ऋण)	25	9,713	20	33,812	16	29,559	1	1,968
कुल	89	19,774	107	57,866	134	62,079	19	4,680

टिप्पणी: 2017-18 के आंकड़े अनंतिम। \$ 31 मई 2017 के अनुसार स्रोत: सेबी

## सारणी 4. म्यूचुअल फण्डों के द्वारा संसाधन संग्रहण

	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18\$ (₹ in crore)	
	निवल प्रवाह	एयूएम	निवल प्रवाह	एयूएम	निवल प्रवाह	एयूएम	निवल प्रवाह	एयूएम
ऋण	22,556	6,94,127	33,008	7,82,900	2,13,154	10,74,652	20,167	5,83,558
इक्विटी	71,030	3,45,139	74,026	3,86,403	70,367	5,43,541	74,195	11,63,671
अन्य	9,702	43,491	27,147	63,521	59,527	1,36,426	15,630	1,56,747
कुल	1,03,288	10,82,757	1,34,181	12,32,824	3,43,048	17,54,619	1,09,992	19,03,975

\$ 31 मई 2017 के अनुसार स्रोत: सेबी

सारणी 5. भारत में कॉर्पोरेट बांडों के निर्गम के जरिए जुटाई गई निधियां  
(सूचीबद्ध प्रतिभूतियां)

वित्त वर्ष	सार्वजनिक निर्गम की संख्या	सार्वजनिक निर्गम के जरिए जुटाई गई राशि	निजी नियोजनों की संख्या	निजी नियोजनों के जरिए जुटाई गई राशि	सार्वजनिक इश्यू और निजी नियोजनों के जरिए जुटाई गई कुल राशि
2014-15	25	9,713	2,611	4,04,136	4,13,849
2015-16	20	33,811	2,975	4,58,073	4,91,884
2016-17	16	29,559	3,377	6,40,716	6,70,275
2017-18\$	1	1,969	602	97,208	99,177

टिप्पणी: 2017-18 के आंकड़े अनंतिम हैं।

\$ 31 मई 2017 के अनुसार स्रोत: सेबी

में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारतीय स्टॉक बाजार ने 2016-17 में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की। दक्षिण अफ्रीकी स्टॉक बाजार को छोड़कर, दुनिया भर में साल 2016-17 इक्विटी की धनात्मक वृद्धि का साल था और

भारतीय बाजारों के लाभ विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लाभों के मुकाबले थे।


3.24 वैश्विक और घरेलू नकदी स्थितियों से बाजार में वृद्धि की रफ्तार लगातार बढ़ती रही। 2016-17 की

**बाक्स 4. ऋण और जमाराशियों में मध्यस्थता समाप्त होना**


वर्ष 2016-17 में ऋण मध्यस्थता में बैंक के हिस्से में बड़े बदलाव देखे गए। निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र (पीएनएफएस) की ऋण की मध्यस्थता में बैंकों का हिस्सा, जो 2014-15 और 2015-16 में लगभग 60% था, कम होकर 2016-17 में 45% रह गया। संसाधनों के संग्रहण में भी हम यही प्रवृत्ति देखते हैं। बैंकों में निवल सावधि जमाराशियों (टीडी) के हिस्से के रूप में म्युचुअल फण्डों में संसाधनों का निवल प्रवाह 2015-16 में 18% से तेजी से बढ़कर 2016-17 में 33% पर पहुंच गया। यह नोट किया जाए कि वार्षिक निवल प्रवाह दो वित्तीय वर्षों में बैंकों और गैर बैंकों के कुल बकाया (ऋण और संसाधन संग्रहण दोनों के लिए) में आए बदलाव के रूप में परिकलित किए जाते हैं।

संसाधन संग्रहण में गैर-बैंकिंग क्षेत्र की बड़ी भूमिका रहती है और ऋण मध्यस्थता ने कम बैंक ऋण बकाया वृद्धि को ऐतिहासिक बनाने में, हालांकि आंशिक रूप से परन्तु, वाणिज्यिक बैंकों की मदद की है। इस प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र में समस्या यह है कि उधारकर्ताओं के साथ-साथ बचत करने वालों के लिए गैर बैंकों पर निर्भरता बढ़ रही है।

**चित्र 1. पीएनएफएस में निवल ऋण प्रवाह में हिस्सा (प्रतिशत)**



**चित्र 2. निवल टीडी प्रवाह के प्रतिशत के रूप में एमएफ में निवल प्रवाह**



स्रोत: आरबीआइ; सेबी और बीआईएस आकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान।

अंतिम तिमाही के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 68,627 करोड़ रु. का निवेश किया (पूरे कलैण्डर वर्ष 2016 के दौरान 23,079 करोड़ रु. के बहिर्वाहों की तुलना में) जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक, म्युचुअल फण्ड/बीमा स्कीमों में सुदृढ़ और सतत् रूप से अभिदान से 1288 करोड़ रु. आया। म्युचुअल फंडों के प्रबन्धन के तहत कुल आस्तियां पिछले वर्ष के मुकाबले 2016-17 में 42 प्रतिशत बढ़ी। अन्य कारक, जिन्होंने वर्ष के दौरान बाजार मनोभावों को बढ़ाया है उनमें शामिल थे: राजकोषीय समेकन रोडमैप के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, निरंतर और सुनिश्चित रूप से किए गए सुधार, बैंक एनपीए के समाधान की प्रतिबद्धता और जीएसटी के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना आदि।


**बीमा और पेंशन क्षेत्र**

3.25 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति और उद्यमों को मृत्यु, सम्पत्ति और दुर्घटना के

जोखिम से सुरक्षा देने के अलावा एक सुरक्षा कदम मुहैया कराता है तथा बचत के लिए प्रोत्साहित करता है और अवसरचना के विकास के लिए और राष्ट्र की अन्य दीर्घावधिक परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक निधियां उपलब्ध कराता है। भारत में बीमा क्षेत्र का विकास इसके द्वारा लाए जा रहे आर्थिक बदलावों में सहयोग देने के लिए आवश्यक है।

3.26 बीमा क्षेत्र की संभावना और निष्पादन को दो मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए अर्थात् बीमा का विस्तार और बीमा का सघनता। बीमे विस्तार को जीडीपी के लिए, दिए गए वर्ष में बीमा कराई गई राशि के प्रीमियम से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। बीमे की सघनता को कुल आबादी के लिए दिए गए वर्ष में बीमा कराई गई राशि के प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है (अंतरराष्ट्रीय तुलना में सुविधा के लिए इन्हें अमरीकी डालर में मापा गया है)।

चित्र 11. भारतीय बैंचमार्क स्टॉक सूचकांक (सेनसेक्स और निफ्टी)



स्रोत: सेनसेक्स, निफ्टी

सारणी 6. विश्व के प्रमुख बाजारों का प्रदर्शन भारतीय बाजार

इंडेक्स	2014-15	2015-16	2016-17	वित्त वर्ष 2016-17 में	
	(31.03.2015)	(31.03.2016)	(31.03.2017)	प्रदर्शन	
				(%, स्थानीय मुद्रा एकक)	(%, डालर)
<b>भारतीय बाजार</b>					
सेनेसेक्स, भारत	27957	25342	29621	16.9	19.1
निफ्टी, भारत	8491	7738	9174	18.6	20.8
<b>उभरते बाजार</b>					
संघाई संयोजित, चीन	3748	3004	3223	7.3	0.8
आरटीएसआई डालर, रूस	880	877	1114	27.1	43.7
सूचकांक बोवेस्पा, ब्राजील	51150	50055	64984	29.8	44.7
जेसीआई, इण्डोनेशिया	5519	4845	5568	14.9	15.2
जेएसई 40, दक्षिण अफ्रीका	46017	46140	45167	-2.1	11.6
कोस्पी, द. कोरिया	2041	1996	2160	8.2	12.4
ताइवान ताइएक्स, ताइवान	9586	8745	9812	12.2	17.7
<b>विकसित बाजार</b>					
एस एण्ड पी 500, अमरीका	2068	2060	2363	14.7	14.7
डोव जोन्स, अमरीका	17776	17685	20663	16.8	16.8
डॉक्स, जर्मनी	11966	9966	12313	23.6	18.1
एफटीएसई-100, इंग्लैंड	6773	6175	7323	18.6	2.9
सीएसी 40, फ्रांस	5034	4385	5123	16.8	11.3
निक्केई 225, जापान	19207	16759	18909	12.8	13.9
हेंगसेंग, होंगकॉंग	24901	20777	24112	16.1	15.9
स्ट्रैट्स टाइम्स, सिंगापुर	3447.01	2840.9	3175.11	11.8	8.9

स्रोत: ब्लूमवर्ग, समीक्षा अनुमान



3.27 वर्ष 2000 में जब इस क्षेत्र को निजी उद्यमों के लिए खोला गया था, बीमे का विस्तार 2.32 (जीवन बीमा 1.77 और सामान्य (गैर-जीवन 0.55) था। वर्ष 2015 में यह 3.44 तक बढ़ा (जीवन बीमा 2.72 तथा सामान्य 0.72)। एशिया की कतिपय उभरती अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात् मलेशिया, थाइलैण्ड और चीन में बीमे का विस्तार उसी वर्ष, अर्थात् 2015, में क्रमशः 5.81, 5.5 और 3.6 था। वर्ष 2000 में भारत में बीमे की सघनता 9.9 अमरीकी डालर थी जो 2015 में बढ़कर 54.7 अमरीकी डालर (जीवन बीमा 43.2 और सामान्य 11.5) पहुंच गई। इसी अवधि, अर्थात् 2015, के दौरान मलेशिया, थाइलैण्ड और चीन के तुलनात्मक आंकड़े क्रमशः 472, 319 और 281 अमरीकी डालर थे।

3.28 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, सामान्य बीमा कर्ताओं (भारत के भीतर) का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (जीडीपी) में 32% वृद्धि (2000-01) से सबसे अधिक दर्ज करते हुए (बीमा कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आंतरिक आंकड़ों के अनुसार) 1,27,631 करोड़ रु. को पार कर गया। फसल बीमा, मोटर बिक्री, स्वास्थ्य बीमा आदि ने इस उद्योग में वृद्धि दर्ज करने में मदद की। जीवन बीमा उद्योग ने मार्च 2017 के अन्त में, पहले साल के प्रीमियम में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की

जबकि पिछले वर्ष में 22.3% की वृद्धि दर्ज की गई थी। पिछले वर्ष में 1,38,657.3 करोड़ रु. की तुलना में 1,75,022.5 करोड़ रु. की बीमा राशि पहले साल का प्रीमियम था।

3.29 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भविष्य में वृद्धावस्था आय, बाजार आधारित प्रतिफल मुहैया कराने और सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्यों के साथ भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है। सरकार का प्रयास है कि सरकार के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों से इतर इस स्कीम को विस्तारित किया जाए।

3.30 31 मार्च, 2017 तक एनपीएस के अन्तर्गत अटल पेंशन योजना को मिलाकर कुल 154.4 लाख सदस्यों/अभिदानकर्ताओं को नामांकित किया गया है। प्रबन्धनाधीन आस्तियों (एयूएम), जिनमें एनपीएस के अन्तर्गत कॉर्पस पर प्रतिफल शामिल है, में 47 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह 31 मार्च, 2016 में 1,18,810 करोड़ रु. से बढ़कर 31 मार्च, 2017 में 1,74,561 करोड़ रु. हो गया। अटल पेंशन योजना में कुल लगभग 48 लाख अभिदानकर्ता हैं और 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, इसके कॉर्पस में 1,751 करोड़ रु. की राशि है।